बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

---

पत्रांक – प्र07 विविध–21/2013– 214 खाद्य, पटना/दिनांक– 09.01.15

फैक्स/
ईमेल

प्रेषक,

हुकुम सिंह मीना,
सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी।

विषय :– **रिक्त जन वितरण प्रणाली दुकानों की अनुज्ञप्ति निर्गत करने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि विभागीय पत्र संख्या–5810/खाद्य, दिनांक–11.09.2012 से माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या– 16192/2011 सुनीता रजक बनाम राज्य सरकार में हुए अंतरिम आदेश में दिये गये निदेश का अक्षरशः पालन करने का निदेश दिया गया था।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक– 20.12.2013 को पारित आदेश के आलोक में सार्वजनिक जन वितरण प्रणाली(नियंत्रण) (तृतीय संशोधन) आदेश–2014 पारित किया गया है जिसके अनुरूप विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक–61 दिनांक– 05.01.2015 निर्गत की गई है । इस संशोधन एवं अधिसूचना के माध्यम से सरकार के द्वारा व्यक्ति विशेष को जन वितरण प्रणाली की अनुज्ञप्ति देने तथा जन वितरण प्रणाली की अनुज्ञप्ति में अनुमंडल स्तर पर आरक्षण के प्रावधान को पुनर्स्थापित कर दिया गया है ।

अतः अधिसूचना की प्रति एवं जिलों से प्राप्त जिलावार रिक्त जन वितरण प्रणाली दुकानों की सूची संलग्न करते हुए अनुरोध है कि **आरक्षण संबंधी प्रावधानों का अनुपालन करते हुए रिक्त जन वितरण प्रणाली दुकानों की अनुज्ञप्ति एक माह के अंदर नियमानुसार निर्गत कराने की कार्रवाई सम्पन्न करने की कृपा की जाय** । इसकी प्रक्रिया 26 जनवरी 15 से प्रारम्भ सुनिश्चित करें।

तद्नुसार विभागीय पत्रांक– 5810/खाद्य दिनांक–11.09.2012 को विलोपित समझा जाय।

अनु0– यथोक्त।

विश्वासभाजन,
(हस्ताक्षर)
(हुकुम सिंह मीना) 9/1/15
सचिव।

D/sec-07

बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

अधिसूचना

सार्वजनिक जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) (तृतीय संशोधन) आदेश–2014

जी0एस0आर0–––––––––––/पटना, दिनांक ––––––––––––– आवश्यक वस्तु अधिनियम–(1955 का केन्द्रीय अधिनियम–10) की धारा–3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार सरकार, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना एतद् द्वारा प्र–04–वि0–02–04/2001–5738 दिनांक– 23.06.11 द्वारा यथानिर्गत सार्वजनिक जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) संशोधन आदेश–2011 की कंडिका– 02, 03 एवं 05 में निम्नलिखित संशोधन करती है :–

संशोधन

1. उक्त आदेश, 2011 की कंडिका –02 की उप कंडिका–2.1 (IV) पुनः अंतःस्थापित की जाती है :–

"(IV)–दुकान आवंटन में आरक्षण निम्न प्रकार होगा।

| | | |
|---|---|---|
| अनुसूचित जाति | – | 16 % |
| अनुसूचित जनजाति | – | 01 % |
| अत्यंत पिछड़ा वर्ग | – | 18 % |
| पिछड़ा वर्ग | – | 12 % |
| पिछड़े वर्गो की महिलाऐं | – | 03 % " |

2. उक्त आदेश, 2011 की कंडिका –02 की उप कंडिका–2.2 पुनः अंतःस्थापित की जाती है
"2.2–आरक्षण का मानक अनुमण्डल स्तर पर लागू माना जाएगा।"

3. उक्त आदेश, 2011 की कंडिका –02 की उप कंडिका–2.3 पुनःस्थापित की जाती है।
"2.3– दुकान आवंटन में निम्नलिखित व्यक्तियों तथा संस्था को अनुकम्पा मामले को छोड़कर प्राथमिकता दी जाएगी। "

4. उक्त आदेश, 2011 की कंडिका –03 की उक्त कंडिका 2.4 पुनः अन्तःस्थापित की जाती है।
"2.4– नई अनुज्ञप्ति निर्गत करने के लिए प्राथमिकताऐं निम्न प्रकार होंगी :–
(क) स्वयं सहायता समूह
(ख) ग्राम पंचायत
(ग) सहकारी समितियॉ
(घ) महिलाऐं/महिलाओं की सहयोग समितियॉ
(ड.) पूर्व सैनिकों की सहकारी समितियॉ
(च) विकलांग
(छ) शिक्षित बेरोजगार
(ज) संबंधित पंचायत अथवा वार्ड के निवासियों को प्राथमिकता दी जाएगी। "

5. उक्त आदेश, 2011 की कंडिका –05 की उप कंडिका–2.7 पुनः अन्तःस्थापित की जाती है।
"2.7– दुकान आवंटन के मामले में जनसंख्या एवं आरक्षण मापदंड का अनुपालन किया जाना आवश्यक होगा। "

(प्र04–पी0डी0एस0–06/14)
बिहार राज्यपाल के आदेश से

5/1/15
(ललन प्रसाद सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक– प्र04–पी0डी0एस0–06/14 - 61 पटना दिनांक– 05.01.2015

प्रतिलिपि :– प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी0डी0 (M.S.Word) में तथा दो हार्ड कॉपी एवं शीर्षक (विषय) अंग्रजी एवं हिन्दी सहित सूचनार्थ एवं बिहार गजट के असधारण अंक में अविलम्ब प्रकाशनार्थ प्रेषित।

अनुरोध है कि उक्त प्रकाशित गजट की प्रति 100 प्रतियॉ अद्योहस्ताक्षरी को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

5/1/15

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक– प्र04–पी0डी0एस0–06/14 - 61 पटना, दिनांक– 05.01.2015

प्रतिलिपि :– सरकार के सभी प्रधान सचिव/सचिव/सभी प्रमण्डलीय आयुक्ता/सभी जिला पदाधिकारी/निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार, पटना (प्रेस नोट सहित)/विशिष्ट पदाधिकारी, पटना अनुभाजन, पटना/अपर जिला दण्डाधिकारी (आपूर्ति)/सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी/सभी अनुमण्डल पदाधिकारी/सभी सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी/सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी/पणन पदाधिकारी/सभी आपूर्ति निरीक्षक/प्रशाखा पदाधिकारी–04 एवं 07, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार/महामंत्री, बिहार आपूर्ति सेवा संघ, मौर्यालोक, पटना/महामंत्री, बिहार फेयर प्राईस डिलर एसोसिएशन, शिखना पहाड़ी, पटना/महामंत्री, बिहार प्रदेश जन वितरण प्रणाली दुकानदार संघ, गायघाट, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

5/1/15

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक– प्र04–पी0डी0एस0–06/14 - 61 पटना, दिनांक– 05.01.2015

प्रतिलिपि :– मुख्य सचिव, बिहार, पटना/विकास आयुक्त, बिहार, पटना/माननीय मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के आप्त सचिव, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य निगम, पटना/महाप्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम, पटना/ संयुक्त सचिव, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली को सूचनार्थ प्रेषित।

5/1/15

सरकार के संयुक्त सचिव।